न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, रिछपाल सिंह बुरड़क R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 46/2014

वादीगण :–

1. ओपाराम पुत्र जोगाराम फौत के
   कायम मुकाम :–
   1/1 श्रीमती सुगनादेवी पत्नि स्व. ओपाराम
   1/2 शारदा पुत्री स्व. ओपाराम
   1/3 अनिता पुत्री स्व. ओपाराम
   1/4 रविन्द्र पुत्र स्व. ओपाराम
   1/5 महेन्द्र पुत्र स्व. ओपाराम
2. पारसराम पुत्र जोगाराम

सभी जातियान विश्नोई निवासीगण खेड़ी सालवा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अशोक पुत्र चुतराराम
2. मोहनलाल पुत्र भाकरराम
3. राणाराम पुत्र भीयाराम
   जातियान विश्नोई निवासीगण खेड़ी सालवां त. पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।
4. भूमिधारी जरीये तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :–
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह वादीगण की ओर से
श्री रामकिशोर सांखला प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक : 11.07.2018

वकील वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है कि ग्राम खेड़ी सालवां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में वादीगण व अन्य की सयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 499 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम भूमि आई हुई है । वादग्रस्त आराजी के वादीगण अभिलिखित सहखातेदार काश्तकार है वादग्रस्त आराजी आपसी पारिवारीक बंटवाड़े के अनुसार वादीगण के बंट में आई हुई है जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त खातेदार काश्तकार की हैसियत से चला आ रहा है वादग्रस्त आराजी के अन्य सहखातेदारो के बंट में अन्य कृषि भूमियां आई हुई है । वादग्रस्त आराजी ग्राम खेड़ी सालवा की आबादी सीमा के चिपते आई हुई है तथा मौके की कीमती भूमि है वादग्रस्त आराजी के चारो तरफ धोरा पाली करके बाड़ वगैराह की हुई है वादग्रस्त आराजी के पश्चिम, दखिणी तरफ आबादी की भूमि आई हुई है । प्रतिवादी सं. 1 से 3 दिनांक 21.06.2014 को वादग्रस्त आराजी के पश्चिमी व दक्षिणी तरफ आये एवं वादग्रस्त आराजी में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर नाप चोप करनें लगे जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण की सयुक्त खातेदारी कब्जासुद भूमि है आप लोगो को वादग्रस्त आराजी में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर पान चौप करने का कोई विधिक अधिकार नही है जिस पर प्रतिवादी सं. 1 से 3

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

वादीगण से अत्यधिक नाराज हो गये एवं ऐलानिया धमकी दी कि वादग्रस्त आराजी पर नीवें खोदकर पक्का निर्माण करके रहेगे जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नही है जिन्हे न्यायहित में जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के रोका जाना अतिआवश्यक व लाजमी है इस पर यह बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का पेश है । प्रतिवादी सं. 1 से 3 बदमाश प्रवृति के झगड़ालू व्यक्ति है तथा भू. माफिया है, वादग्रस्त आराजी पर जबरन अवैध कब्जा करके निर्माण कार्य करने पर आमादा है जबकि प्रतिवादी सं. 1 से 3 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नही है वादग्रस्त आराजी वादीगण की सहखातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है । वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 को जबरन कब्जा करने का एवं निर्माण करने का कोई विधिक अधिकार नही है । प्रतिवादीगण के गैर कानूनी कृत्यों को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा को रोका जाना अतिआवश्यक व लाजमी है नही तो वादीगण अपनी सहखातेदारी कब्जा काश्त की भूमि से महरूम हो जायेगे तथा वादीगण के खातेदारी अधिकारो का हनन होगा । इस्तदुआ वादी निम्न प्रकार से है कि :–

1. वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की सादिर फरमायी जावें कि ग्राम खेड़ी सालवा की सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 499 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा भूमि पर वादीगण के कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण न तो स्वयं दखलन्दाजी उत्पन्न करे न किसी अन्य से करावे तथा प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 वादग्रस्त आराजी पर न ता कब्जा करने की कुचेष्ठा करे न ही निर्माण करने की कुचेष्ठा करे न अपने हितबद्ध लोगो से ऐसा करावे ।
2. अन्य अनुतोष जो हित वादीगण हो वादीगण के पक्ष में अता फरमावें ।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये । प्रतिवादी सं. एक तीन की ओर से अधिवक्ता श्री रामकिशोर सांखला ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 3 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया जो इस प्रकार से है कि :– वादीगण ने ग्राम खेड़ी सालवा की राजस्व सीमा में स्थित जमीन खसरा नम्बर 499 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा भूमि पर वादीगण के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण न तो स्वयं दखलन्दाजी पैदा करे न किसी अन्य से करावे, जबकि वादग्रस्त आराजी के वादीगण संयुक्त खातेदार है, इसलिए वादीगण सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी में वादीगण के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी पैदा नही करने हेतु वाद पेश करने का अधिकार नही है वादीगण ने वादग्रस्त आराजी के सहखातेदारान को पक्षकार नही बनाया तथा उनके हक हिस्सा का भी उल्लेख नही किया है ऐसी स्थिति में पक्षकारो के संयोजित नही करते हुए वाद पेश किया है जो चलने योग्य नही है । वादीगण वादग्रस्त आराजी के कतई खातेदार नही होकर सहखातेदार है तथा वादीगण ने सहखातेदारान को

सहायक कलक्टर ए॰
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार नही बनाया है तथा आवश्यक पक्षकरो के बाले–बाले उक्त अनवान वाद व स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया जो काबिल खारिज के है । वादग्रस्त आराजी मात्र वादीगण के बंट में आयी हुई लिखने मात्र से वादीगण के बंट हिस्सा में नही हो सकती है अन्य सहखातेदार को पक्षकार बनाये बिना बाले बाले वाद पेश करना कतई न्यायसंगत नही है । दिनांक 21.06.2014 को प्रतिवादी सं एक से तीन ने कतई वादग्रस्त आराजी में प्रवेश कर कोई नाप चौप करना शुरू नही किया । वादीगण ने वाद पत्र में अपना हक हिस्सा कितना बनता है । वादीगण ने बाले बाले सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी बाबत दखलन्दाजी पैदा नही करने हेतु पेश किया जो चलने योग्य नही है । वादीगण का वाद आधारहीन, मिथ्या, पक्षकारो का कुसंयोजन करने हेतु वाद पेश किया है जो काबिल खारिज के है । वादीगण ने माननीय न्यायालय के अमुल्य समय को बर्बाद करने की नियत से मिथ्या वाद पेश किया है । प्रतिवादी सं. एक से तीन की ग्राम खेड़ी सालवां की आबादी सीमा में स्थायी पक्के पीढ़ियो से रहवासीय मकान बने हुए है । आबादी सीमा में चिपते ही वादग्रस्त भूमि आयी हुई है इसलिए वादीगण ने वास्तविक तथ्यो को छिपाकर मिथ्या वाद पेश किया है । प्रतिवादीगण अपने पीढ़ियो से आबादी भूमि में बने मकान के स्थान पर ही निर्माण कर रहे है । दिनांक 21.06.2014 को प्रतिवादीगण ने वादीगण को किसी प्रकार की ऐलानिया धमकी नही दी । बल्कि प्रतिवादीगण शान्तिपूर्वक अपने पूर्वजो के समय से रहवासीय मकान के स्थान पर ही मकान निर्माण करवा रहे है इसलिए वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का वाद कारण पैदा नही हुआ । इस्तदुआ वादीगण है जो कि सम्पूर्ण वाद पत्र वादीगण ने मिथ्या रूप से पेश किया है जो काबिल खारिज के है । वादीगण उक्त वाद पत्र की आड़ में स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहते है जिससे अन्य सहखातेदारान को बिना सुने निषेधाज्ञा जारी कर दी तो अन्य सहखातेदारान अपनी खातेदारी जमीन से भी महरूम रह जायेगे जबकि वादीगण ने सहखातेदारान को भनक तक नही लगने दी है । वादीगण का वाद पत्र काबिल खारिज के है । अतः जवाब दावा पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि वादीगण का वाद सरासर मिथ्या, सारहीन तथ्यो पर आधारित होने से खर्चा हर्जा सहित खारिज फरमावें । इस सम्बन्ध में तहसीलदार पीपाड़ शहर से मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्राप्त हुई कि खेत खसरा नम्बर 499 रकबा 6.05 बीघा बारनी प्रथम मौके पर खाली पड़ा है किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य नही पाया गया ।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की सादिर फरमायी जावें कि ग्राम खेड़ी सालवा की सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 499 रकबा 06 बीघा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

05 बिस्वा भूमि पर वादीगण के कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण न तो स्वयं दखलन्दाजी उत्पन्न करे न किसी अन्य से करावे तथा प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 वादग्रस्त आराजी पर न ता कब्जा करने की कुचेष्ठा करे न ही निर्माण करने की कुचेष्ठा करे । इसी प्रकार वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में जवाबदावे के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि सम्पूर्ण वाद पत्र वादीगण ने मिथ्या रूप से पेश किया है जो काबिल खारिज के है । वादीगण उक्त वाद पत्र की आड़ में स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहते है जिससे अन्य सहखातेदारान को बिना सुने निषेधाज्ञा जारी कर दी तो अन्य सहखातेदारान अपनी खातेदारी जमीन से भी महरूम रह जायेगे जबकि वादीगण ने सहखातेदारान को भनक तक नही लगने दी है । वादीगण का वाद पत्र काबिल खारिज करने का निवेदन किया है ।

हमने बहस वकुलाय सुनी । प्रार्थना पत्र, जवाब दावा एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया ग्राम खेड़ी सालवा का खसरा नम्बर 499 रकबा 6.05 बीघा वादीगण के साथ साथ अन्य सहखातेदारान के नाम से भी दर्ज रिकार्ड है । पत्रावली पर ग्राम खेड़ी सालवा की जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2064 उपलब्ध है जो खसरा नम्बर 499 से सम्बन्धित है । जमाबन्दी से अच्छा रिकार्ड ऑफ राईट का अच्छा भूमि अभिलेख नही हो सकता है । जब तक कि उसे अन्यथा साबित नही किया जावें । प्रतिवादी सं. 1 व 3 की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता 1908 पत्रावली पर स्वीकृत होकर नायब तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा मौके की रिपोर्ट प्राप्त की गयी जिसमें खसरा नम्बर 499 रकबा 6.05 बीघा मौके पर खाली पड़ा होना प्राप्त हुई है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य नही पाया गया है । उभयपक्ष अधिवक्ता ने रिपोर्ट से सहमति जाहिर की है । भविष्य में भी खातेदारान की भूमि पर किसी प्रकार की दखलन्दाजी न हो इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रतिवादी सं. 1 से 3 को जरिये स्थायी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम खेड़ी सालवा खसरा नम्बर 499 रकबा 6.05 बीघा पर न तो कब्जा करने की एवं न ही निर्माण करने की कुचेष्ठा करें । इस आशय की डिकी जारी हो ।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 11.07.2018 को कोर्ट में लिखवाया जाकर मजमेआम सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

Scanned by CamScanner